VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0984013

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : रजनीश पटेल

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
हिंदी

सामान्य अंध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

तारीख
Date
27/08/22

केंद्र
Centre MUKHERJEE NAGAR

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature
27/8/22

	महत्वपूर्ण अनुदेश **उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।**	**Important Instructions** **Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor-put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

VISION IAS

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Do you agree with the view that time has come to revisit the Seventh Schedule of the Indian Constitution? Discuss with suitable arguments. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है जिसमें प्रशासनिक विषयों का बँटवारा तीन वर्गों में किया गया है।

केंद्र सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची
→ राष्ट्रीय महत्व के विषय → संचार, विदेश मामले आदि।	→ पुलिस व्यवस्था जल आदि।	→ शिक्षा व्यवस्था → अपराध कानून।

सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार की आवश्यकता

⇒ COVID-19 जैसी आपदा में राष्ट्रीय अनुक्रिया एवं रणनीति का महत्व स्थापित हुआ है इस संबंध में NDMA ने स्पष्ट रूप से आपदा

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रबंधन को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया है।

⇒ स्वास्थ्य जैसे विषय जो कि राज्य के दायरे में आते हैं उन पर केंद्र की भूमिका को दृष्टिगत रख समवर्ती में डालने की आवश्यकता।

⇒ राज्यों के पास उत्तरदायित्व अधिक हैं किंतु कराधान सीमित है। इस संदर्भ में भी सातवीं अनुसूची में परिवर्तन की बात की जा रही है।

⇒ राज्य-केंद्र संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग ने भी 'जल' जैसे विषय को समवर्ती सूची में डालने पर बल दिया है।

अतः 75 साल बाद बदलती परिवेश में आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

2. न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए, भारत में इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

Highlighting the advantages of online dispute resolution (ODR) mechanism for justice delivery, discuss the challenges associated with its effective implementation in India. (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

ऑनलाइन विवाद समाधान

सूचना क्रांति के दौर में सस्ता, समयबद्ध एवं प्रभावी न्याय का साधन बनकर उभरा है। इसके अधोलिखित लाभ हैं :-

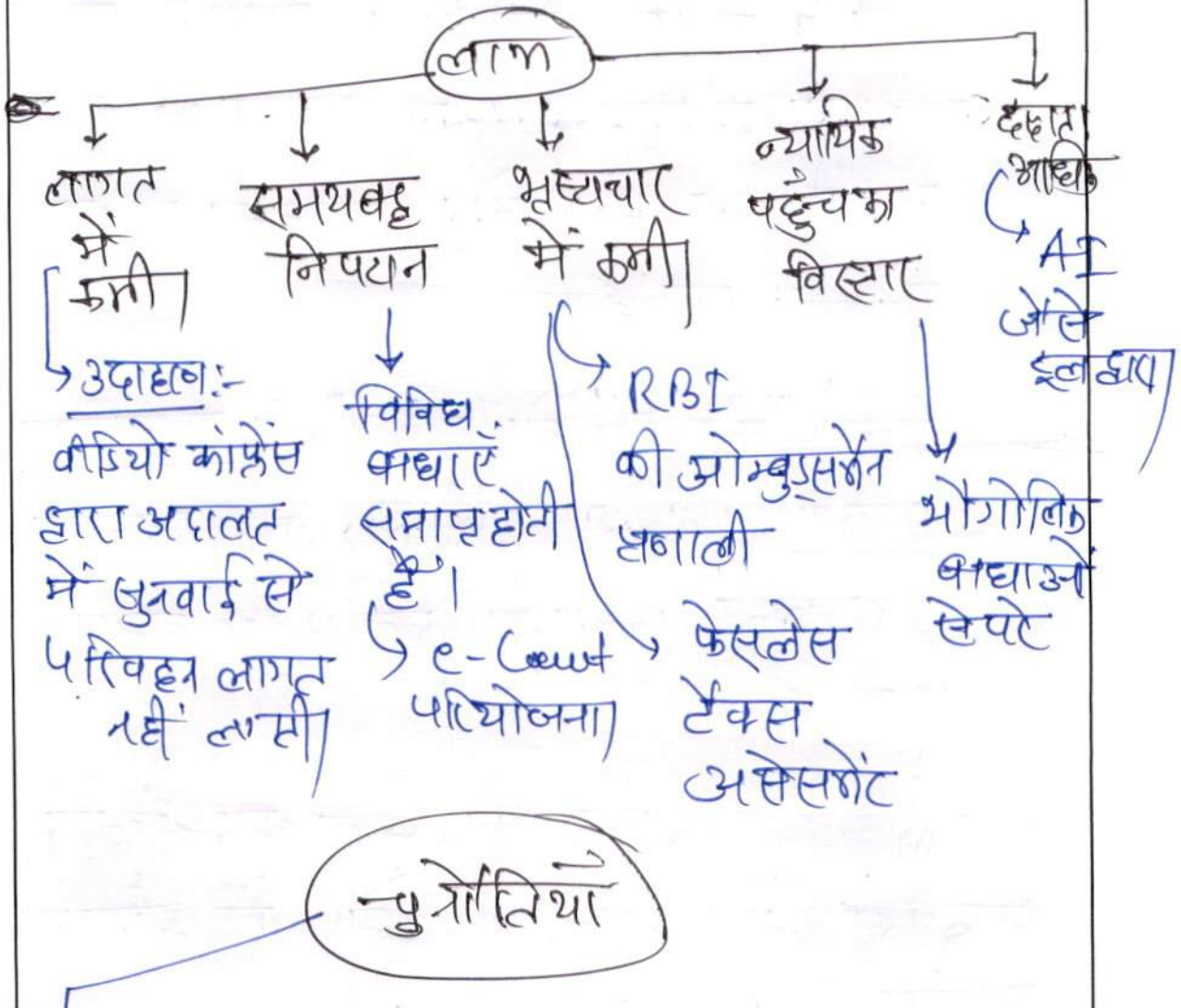

भारत में 75% न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ डिजिटल साक्षरता की दर अभी भी निम्न है। ग्रामीण भारत में अभी भी बहुसंख्य लोग डिजीटली अशिक्षित।

⇒ निजता के हनन की आशंका (अनुच्छेद-21)

⇒ ऑनलाइन विवाद समाधान में एक आर्टिफिशियल जजों या निर्णयकर्ता द्वारा सामाजिक दबाव में निर्णय करने की स्थिति है।
↳ e.g. कोर्ट की लाइव प्रसारण

सरकार द्वारा प्रयास

- e-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट
- RBI - डिजिटल ओम्बुड्समैन
- कानूनी सूचना प्रबंधन प्रणाली
- डिजिटल इंडिया, भारतनेट आदि।

3. शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद, केंद्र-राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रहे हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite the constitutional division of powers, Centre-state disputes have been a perennial feature of Indian democracy. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य की शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था के साथ-साथ अनुच्छेद - 131 के तहत न्यायलीय समाधान की भी व्यवस्था की गई है/ फिर भी विवाद उभरते रहे हैं।

केंद्रराज्य विवाद का उदाहरण

→ आजादी के तुरंत बाद बेरुबाड़ी संघ वाद प्रारंभिक संघर्षों में एक था जहाँ पाकिस्तान को जमीन को हस्तांतरण को लेकर दोनों आमने सामने थे।

→ केंद्रीय एजेंट के रूप में राज्यपाल के प्रयोग पर विवाद होते रहे हैं।

→ वित्तीय संसाधनों के बँटवारे पर

वित्त आयोग की स्थापना के बावजूद संघर्ष होते रहे हैं। उदाहरणार्थ:- 15 वें वित्त आयोग में TOR पर विवाद।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती का मुद्दा।

⇒ अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का मुद्दा।

⇒ केंद्रीय जाँच एजेंसियों जैसे - ED, CBI आदि के प्रयोग का मुद्दा।

⇒ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का मुद्दा।

→ उदाहरण :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंगाल जैसे राज्यों ने लागू नहीं किया।

सहयोग के मंच → G.S.T. काउंसिल
→ वित्त आयोग।
→ अंतर्राज्यीय परिषद्

आगे की राह :-

→ वित्त आयोग को स्थायी दर्जा देना।
→ राज्यपाल पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों की अनुशंसा।
→ केंद्र-राज्य संबंधों में परिपक्वता लाने की जरूरत है।

4. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लॉबिंग के लिए एक ढांचे को अंगीकृत करना भारत में सहभागी शासन और कारोबार सुगमता को सुदृढ़ करेगा? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that adopting a framework for lobbying will strengthen participative governance and ease of doing business in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लॉबिंग दबाव समूहों द्वारा अपनायी जाने वाली पद्धति है जिसमें वे अपने एजेंटों द्वारा सरकारी नीति निर्णयन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ :- लॉकहीड मार्टिन, एयरबस जैसी कंपनियाँ भारत में निर्यात अवसर हेतु एजेंटों द्वारा लॉबिंग प्रयास करती हैं।

लॉबिंग के लाभ

- सरकार का विविध हितधारकों के साथ संवाद स्थापित होता है।
- जमीनी सूचना प्राप्त होती है।
  - उदाहरणार्थ - बाल अधिकार समूह द्वारा लॉबिंग के जरिए बाल अपराध पर जानकारी देना।

⇒ व्यापार की सुगमता सुनिश्चित होती है।
↳ उदाहरणार्थ :- सरकार को यदि किसी हथियार का आयात करना है तो संबंधित कंपनियों को लॉबिंग की सुविधा और अवसरों में वृद्धि करेगी।

⇒ नीति निर्धारण में लॉबी का प्रभाव दिखता है।
↳ उदाहरणार्थ:- भारत द्वारा RCEP से हटने का निर्णय डेयरी उद्योग की लॉबी का परिणाम था।

लॉबिंग से चुनौती

- भ्रष्टाचार बढ़ सकता है।
- सामाजिक दबाव में निर्णय नीतिगत दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं हो सकते उदाहरणार्थ – तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय।

वस्तुतः सरकार को एक कानूनी विनियामकीय ढाँचे के विकास द्वारा लॉबिंग का कुशलता हेतु उपयोग करना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. सरकारी अनुप्रयोगों के लिए सरकार द्वारा प्रोपराइटरी (निजी स्वामित्व और नियंत्रण वाली) प्रौद्योगिकी के बजाय ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के बावजूद, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर (FOSS) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite the government encouraging open source instead of proprietary technology for government applications, the true potential of Free and Open Source Software (FOSS) and digital platforms remains unrealized. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

डिजिटल प्रौद्योगिकी - ई-शासन में किस तरह प्रभावी भूमिका निभा सकती है, इसका एक प्रभावी उदाहरण - COWIN प्लेटफॉर्म (FOSS) है जिसने हाल ही में 200 करोड़ डोज का रिकार्ड बनाने में सरकार की मदद की है।

FOSS के लाभ

⇒ सेवा वितरण में कुशलता आती है।
↳ उदाहरण - COWIN प्लेटफॉर्म।

⇒ पारदर्शिता में वृद्धि होती है।
↳ उदाहरण - डिजीलॉकर।

⇒ डाटा प्रबंधन में मदद मिलती है
↳ उदाहरण → My.Gov.in

⇒ निजी स्रोत द्वारा डाटा के दुरुपयोग का भय भी नहीं होता है।

वास्तविक क्षमता का दोहन क्यों नहीं हो पाया है?

→ डिजिटल साक्षरता एक बड़ी बाधा है।

→ अभी भी बड़ी मात्रा में लोग इंटरनेट की पहुंच से बाधित हैं।

↳ अतः FOSS का सार्वभौमीकरण प्रशासन हेतु करना मुश्किल हुआ है।

→ अभी भी सरकार के पास पर्याप्त मानव संसाधन एवं तकनीकी दक्षता का अभाव है।

→ यह अभी विकासात्मक दृष्टि से शुरुआती दौर है।

सरकार को अपनी सुशासन क्षमता में सुधार के अगले कदम के रूप में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का ~~[illegible]~~, बीमा, छात्रवृत्ति आदि हेतु प्रयोग करना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. एक सामाजिक सुरक्षा-वाल्व के रूप में, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) प्रमुख साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से समुदाय अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
As a social safety-valve, non-governmental organisations (NGOs) can be the principal vehicles through which communities voice their concerns. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गैर सरकारी संगठन निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित ऐसे समूह होते हैं जो विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयासरत हो सरकार के सहायक की भूमिका में दिखते हैं।

NGO प्रकार → विकासात्मक कार्यों में संलग्न

दबाव समूह के रूपों → पर्यावरण संबंधित - नर्मदा बचाओ आंदोलन।
→ अधिकारिता संबंधी - बचपन बचाओ आंदोलन।
→ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
→ व्यवसायिकहित समूह
→ अन्य

NGO विनियमन → FRCA अधिनियम 2010
→ सोसायटी अधिनियम।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में भूमिका

→ जनता एवं सरकार के बीच विविध मुद्दों पर संवाद स्थापित कर सकते हैं।
↳ उदाहरण → व्यवसायिक संगठन SIAM द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र की समस्या

→ इसी प्रकार सरकार तक महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करा सकते हैं।
↳ उदाहरण → पोषण संबंधी रिपोर्ट
↳ अधिकारों की स्थिति।

→ नीतिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं।
↳ पिछड़े समुदायों का विकास हेतु

अतः सरकार को इनके पारदर्शी कार्यान्वयन एवं विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

7. अपने रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सराहे जाने के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का कार्यान्वयन सुस्त है और विभिन्न मुद्दों से घिरा हुआ है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

Despite being lauded for its patient centric approach, the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017, remains sluggish and mired with various issues. Discuss. (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017

- स्वास्थ्य देखभाल व्यय बढ़ना
- मानव संसाधन विकास
- जागरूकता सृजन करना।
- मानसिक रोगों को पहचानने की क्षमता विकसित करना।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना।
- राष्ट्रीय नीति निर्माण
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

मुद्दे

- जागरूकता में कमी।
- अशिक्षा
- अवसंरचना सीमित
  - अस्पतालों की संख्या कम है।
  - व्यय पूरे स्वास्थ्य बजट का सीमित हिस्सा।
  - विकसित देशों एवं WHO मानकों को पूरी तरह मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम समाहित नहीं करता है।

सुझाव

- निजी क्षेत्रक का सहयोग → PPP मॉडल
- NGO सामाजिक स्तर सहयोग लेना।

8. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार करने का समय आ गया है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that time has come to formulate an Urban Employment Guarantee scheme at the national level? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2005 में निर्मित मनरेगा ने गाँव से शहरी पलायन सीमित तो किया ही हाल ही में COVID-19 में शहर से गाँव में गए प्रवासियों को रोजगार भी दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में शहर हेतु ऐसी मांग की जा रही है।

पक्ष

→ शहरी बेरोजगारी दर ग्रामीण बेरोजगारी से अधिक है। अतः यहाँ अधिक आवश्यकता है।

→ इससे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत असंगठित दिहाड़ी मजदूरों को लाभ होगा।

→ शहरी वेतन / मजदूरी के स्टैण्डर्ड में सुधार होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

→ भारत का तीव्र शहरीकरण हो रहा है। 2050 तक आधा भारत शहरों में होगा अतः यहाँ अधिक आवश्यकता है।

विपक्ष

→ मनरेगा को लेकर ही सरकार द्वैध की स्थिति में है। सरकार द्वारा इसके आवंटन को कम किया गया है अतः नयी योजना की प्रासंगिकता संदेहास्पद।

→ यह व्यापार की सुगमता को प्रभावित कर सकता है।

→ इससे अनौपचारिक क्षेत्रक में मजदूर उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

वस्तुतः सरकार द्वारा संहिताकृत श्रम कानून में न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा एवं दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन, कौशल भारत अभियान जैसे कदम अधिक तर्कसंगत हैं।

9. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्सटेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of BIMSTEC as a regional organisation to fulfil India's strategic aspirations in the Indian Ocean Region. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बिम्सटेक द्वारा बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों को मिलाकर विश्व की 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति एवं इंडो पेसीफिक लक्ष्यों से साम्य रखती है।

बिम्सटेक की प्रासंगिकता

→ सार्क में पाकिस्तानी बाधा के बाद एक क्षेत्रीय सहयोगात्मक मंच की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
↳ 2016 बिम्स सम्मेलन के समानांतर इसका पुनरुत्थान हुआ।

→ चीन की रिंग पेंस नीति के प्रति संतुलन हेतु जरूरी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रत्यास्थता, आर्थिक विकास, आतंकवाद में क्षेत्रीय सहयोग हेतु प्रयास।

⇒ बिम्सटेक भारत के उत्तरपूर्वी क्षेत्र के विकास में सहयोगी भूमिका निभा सकती है।

⇒ बिम्सटेक हिंद महासागर में सुरक्षा हेतु विशेष क्षमता सृजन कर सकती है।

हालिया प्रयास

↳ 5वीं बैठक

↳ बिम्सटेक चार्टर का निर्माण

↳ सभी को 7 लक्ष्य दिया गया जैसे भारत → सुरक्षा एवं जलवायु।

↳ प्रत्येक दो वर्ष में मीटिंग का प्रावधान

बिम्सटेक को संस्थागत किए जाने की जरूरत है।

10. वर्तमान समय में अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में भारत के लिए गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of the Gujral Doctrine for India with regard to its relations with its immediate neighbours in the present times. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गुजराल सिद्धांत

→ पड़ोसी प्रथम की नीति।
→ पड़ोसियों को आर्थिक सहायता, सुदृढ़ क्षमता निर्माण का वादा किया।
→ दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका का स्पष्टीकरण।

प्रासंगिकता

→ भारत के विकास लक्ष्यों हेतु क्षेत्रीय सहयोग में।
→ श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में
→ डेट ट्रैप से बाहर निकलने में।
→ नेपाल, श्रीलंका, मालदीव के साथ संबंधों की बहाली में।

चीन की आक्रामकता में

रोकने के साथ-साथ भारत की विश्व

पटल छवि में सुधार हेतु यह आवश्यक

है।

उदाहरण → श्रीलंका संकट में भारत द्वारा
4 बिलियन की मदद

→ नेपाल संकट (भूकम्प) में मदद।

→ मालदीव में वैक्सीन आपूर्ति, भूटान में
COVID सहायता।

उपर्युक्त उदाहरण सरकार की

पड़ोसी प्रथम नीति को दर्शाते हैं। साथ

ही इसका विस्तार भी सागर डाक्ट्रीन

(SAGAR) एवं विस्तारित पड़ोस

के रूप में सरकार द्वारा किया

गया है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. भारतीय संसदीय प्रणाली में "संसद के अधिकारियों" की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Highlight the pivotal role of the "Officers of Parliament" in the Indian Parliamentary system. Also, discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संसद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों में एक है। इसके निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यसंचालन हेतु, अधोलिखित संसदीय अधिकारियों का दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है।

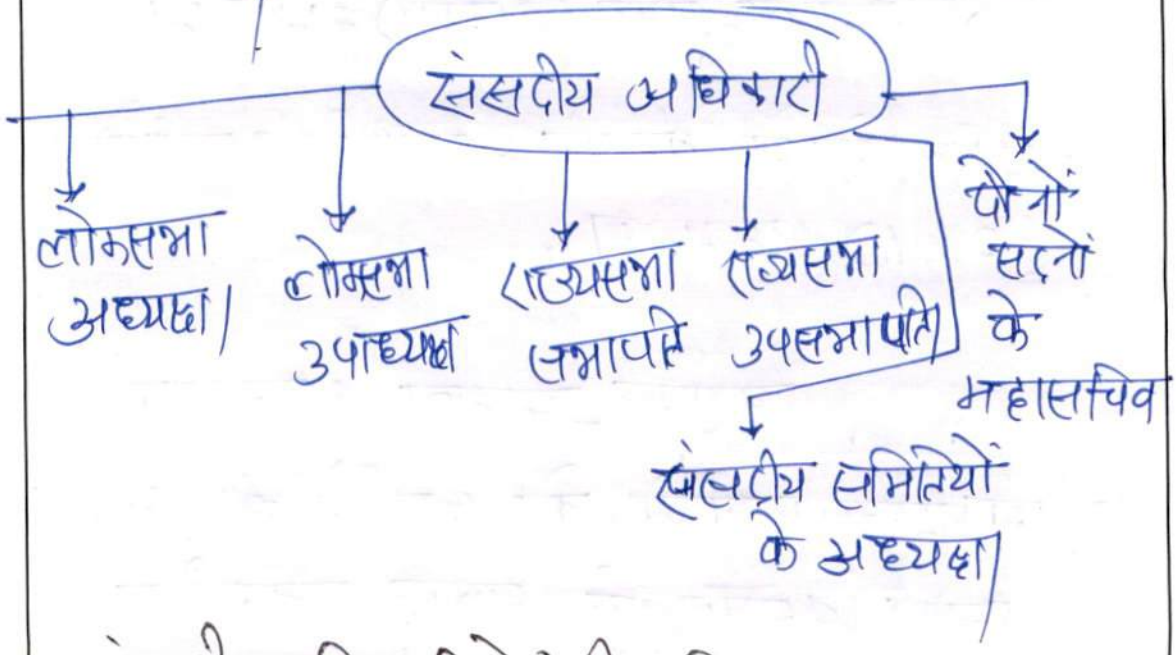

संसदीय अधिकारियों की भूमिका :-

→ निष्पक्ष कार्यवाही :- लोकसभा एवं राज्यसभा उपाध्यक्ष के लोगों पर यह दायित्व होता है कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले

→ उदाहरणार्थ :- संसद सदस्यों के विविध नोटिस एवं प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति उनके पास होती है। उदाहरण :- प्रश्नकाल में किन-किन प्रश्नों को शामिल करना है।

अर्द्धन्यायिक भूमिका → महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के संदर्भ में

→ 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल अधिनियम के संदर्भ में।

→ धन विधेयक का निर्धारण में।

महासचिव व अन्य लोगों की भूमिका :-

→ संसदीय प्रणाली में विश्वास, न्याय एवं पारदर्शिता हेतु जरूरी।

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान :-

→ स्पीकर को कार्यकाल की सुरक्षा → हटाने का विशिष्ट प्रावधान।

→ अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार

→ लोकसभा कार्य नियम, राज्यसभा नियमावली

हाल ही में इन अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न उठा है अतः उच्चतम न्यायालय ने धन विधेयक जैसे मुद्दे पर एक संवैधानिक पीठ का गठन किया है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

आगे की राह

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ 10वीं अनुसूची पर निर्णय हेतु न्यायाधिकरण की स्थापना की जाय।

⇒ धन विधेयक के निर्धारण मानक स्पष्ट किए जाएं।

⇒ स्पीकर के निष्पक्षता की परम्परा को विपक्ष एवं सरकार दोनों द्वारा महत्व प्रदान किया जाय।

12. वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The Finance Commission plays a crucial role in balancing fiscal federalism in India. In this context, examine the recommendations given by the 15th Finance Commission. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वित्त आयोग की परिकल्पना

राज्य एवं केंद्र के बीच राजकोषीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद-280 के तहत एक पुल के रूप में की गयी है।

15वां वित्त आयोग
- अध्यक्ष :- एन. के सिंह.
- सिफारिश अवधि → 2020-21 - प्रथम
  - 2021- 2026 - द्वितीय

प्रमुख अनुशंसाएँ :-

क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर अंतरण को 41% रखा गया है यह 14वें वित्त आयोग द्वारा 42% की अनुशंसा से कम है। हालांकि इसके पीछे आयोग का तर्क है कि जम्मू

कश्मीर एवं लद्दाख का प्रबंधन केंद्र के पास होने से केंद्रीय दायित्व में वृद्धि हुई है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ जनसंख्या एवं अन्य जनसांख्यिकी संकेतकों को 14वें वित्त आयोग के लगभग समान महत्व दिया गया है।

⇒ वनीकरण को 10% के आसपास महत्व दिया गया है।

⇒ रक्षा आधुनिकीकरण हेतु, एक नॉन लैप्सेबल फंड की मांग वित्त आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। वित्त आयोग के इस निर्णय पर कई राज्यों ने आपत्ति दर्ज की है।

⇒ वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्रक में सुधार हेतु, एक अखिल भारतीय सेवा के गठन का भी सुझाव दिया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्रक को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि में बड़ा हिस्सा अनुबंधित है। 10 लाख से अधिक संख्या वाले शहरों हेतु विशेष प्रावधान।

⇒ प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन को प्रेरित करते हुए विशेष शिक्षा एवं विकासात्मक अनुदानों को कर सुधार जैसे लक्ष्यों से जोड़ा गया है। यह शासन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

आगे की राह)

- वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार गंभीरता से कार्यवाही करे।
- राजकोषीय संघवाद से संबंधित मुद्दे आगे भी उठते रहेंगे अतः चुनाव आयोग की तरह वित्त आयोग को स्थायी दर्जा दिया जाय।

13. आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में योगदान करेगा। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Critically assess whether according statutory backing to the Model Code of Conduct will contribute towards free and fair elections in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आदर्श आचार संहिता चुनाव

आयोग द्वारा तैयार एवं सभी राजनीतिक दलों द्वारा आपसी सहमति से स्वीकृत ऐसा दस्तावेज है जिसमें चुनाव के दौरान दलों एवं नेताओं द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों एवं गैर-अनुपालन में दंड के प्रावधान शामिल हैं।

↳ उदाहरण :- धर्म के आधार पर वोट मांगने पर प्रतिषेध।

↳ वोटिंग के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध।

आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य

- निष्पक्ष निर्वाचन कराना।
- समान अवसर उपलब्ध कराना।
- चुनाव की शुचिता सुनिश्चित करना।

हालांकि आदर्श आचार संहिता के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है

अतः कई लोगों द्वारा इसकी मांग की जा रही है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पक्ष में तर्क :-

- इससे आदर्श आचार संहिता की शक्ति में वृद्धि होगी।
- पार्टियां उल्लंघन से डरेंगी।
- न्यायालय का हस्तक्षेप संभव होने से कार्यवाही के संदर्भ में चुनाव आयोग की निष्पक्षता में वृद्धि होगी।
- अन्य कानून भी हैं इस तरह आचार संहिता भी हो सकती है।
  - उदाहरणार्थ:- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1950
- परिभाषाएँ स्पष्ट होंगी।

विपक्ष में तर्क :-

- जिस तरह संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण नहीं किया गया है उसी तरह इनके संहिता करण की भी जरूरत नहीं है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

क्योंकि

→ कानूनी संहिताकरण आदर्श आचार संहिता के दायरे को सीमित करेगा।

→ गतिशील परिवेश में पार्टियाँ नए तरीके निकालेंगी उल्लंघन का अतः उन्हें कानून में अपडेट करने की चुनौती बढ़ेगी।

→ न्यायालय की सक्रियता में अनावश्यक वृद्धि होगी।

वस्तुतः आदर्श आचार संहिता, संसदीय विशेषाधिकार आदि के व्यापक, गतिशील दायरे को ध्यान में रखते हुए इनके संहिताकरण से बचना चाहिए।

14. डिजिटल क्रांति के कारण बाजार में आए व्यवधान ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नवीकृत फोकस और परिप्रेक्ष्य को आवश्यक बना दिया है। इस आलोक में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में सुधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The market disruption caused by digital revolution warrants renewed focus and perspective to ensure fair competition in the digital economy. In this light, discuss the need to revamp the Competition Commission of India (CCI). (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

डिजिटल क्रांति ने भारत में नागरिक सशक्तीकरण, सुशासन, व्यापार में सुगमता जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अधिदेशों की प्राप्ति को साधने में हमें सक्षम बनाया है किंतु वहीं दूसरी तरफ भारत का दूरसंचार सेवा क्षेत्रक अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है जो कि एक चिंता का विषय है।

डिजिटल युग में उभरती प्रतिस्पर्धा संबंधी चुनौतियाँ

⇒ दूरसंचार क्षेत्रक में केवल तीन ही कंपनियाँ रह गयी हैं जिनकी वित्तीय स्थिति लगातार निम्न टैरिफ दरों के दबाव के चलते बिगड़ी है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स का तेजी से विकास हुआ है। यहाँ भी कई तरह की प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं।

⇒ नए उभरते स्टार्टअप खासतौर से फिनटेक उद्योग, गेमिंग उद्योग द्वारा वेंचर फंडिंग एवं बाजार पहुँच हेतु फ्री ऑफर की सुविधा पर नजर रखने की चुनौती है।

⇒ डिजिटल एडवर्टीजमेंट को भी प्रतिस्पर्धा मानकों पर तौलने की जरूरत है।

प्रतिस्पर्धा आयोग में सुधार

⇒ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपर्युक्त चुनौतियों से लड़ने में कानूनी एवं विनियामकीय रूप से पर्याप्त है अतः संशोधन की

जरूरत क्यों है। ~~हाल ही में~~

⇒ हाल ही में जिस तरह सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन द्वारा डिजिटल परिवर्तनों का समावेशन हुआ है वैसी ही आवश्यकता प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में भी है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. भारत में एक प्रभावी व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र और साथ ही यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्हिसल-ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

There is an urgent need for effective whistle-blowing mechanisms and ensuring that necessary safeguards for the protection of whistle-blowers are established in both public and private spheres in India. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

व्हिसल ब्लोअर से आशय

किसी संगठन में कार्यरत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक हित की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं सार्वजनिक जनता को उपलब्ध कराने से है। इस दिशा में भारत द्वारा व्हिसिल ब्लोइंग अधिनियम, 2011 का निर्माण किया गया है।

चर्चित व्हिसिल ब्लोअर
- ↳ एडवर्ड स्नोडेन
- ↳ हाल ही में 'Uber Files' की चर्चा है।

भारत में आवश्यकता

⇒ निजी क्षेत्रक का उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में भूमिका रणनीतिक रूप से बढ़ी है अतः

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सार्वजनिक हित के लिए व्हिसिल ब्लोइंग जरूरी है।

⇒ वर्तमान व्हिसिल ब्लोइंग कानून व्हिसिल ब्लोअर की सुरक्षा एवं प्रोत्साहन हेतु अपर्याप्त है।

↳ यह बड़े स्तर पर व्हिसिल ब्लोअर पर ही दायित्व आरोपित करता है।

⇒ पुलिस सुरक्षा, व्हिसिल ब्लोअर के परिवार की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा के स्पष्ट सावधान की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

⇒ 'मानहानि का दावा' जैसे साधनों का व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है।

उपाय → नए कानून का निर्माण किया जाय।
→ एक नए प्राधिकरण की स्थापना।

⇒ सर्वोत्तम वैश्विक प्रणालियों से सीख लेने की जरूरत है।

⇒ जागरूकता के सृजन की जरूरत है।

व्हिसिल ब्लोइंग इकोसिस्टम की मजबूती अन्तत: भारत में भ्रष्टाचार को कम करेगा, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकेगा एवं पारदर्शी तंत्र का सृजन करेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. भारत में सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इनकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
State the reasons behind the poor performance of cooperatives in India. Also, discuss the reforms undertaken by the government to overcome the shortcomings. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सहकारी समितियों के सुधार के साथ-साथ सहकारी आंदोलन की पूरी प्रणाली में व्यापक सुधारों के दृष्टिगत सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' नारे के अंतर्गत नवीन सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है।

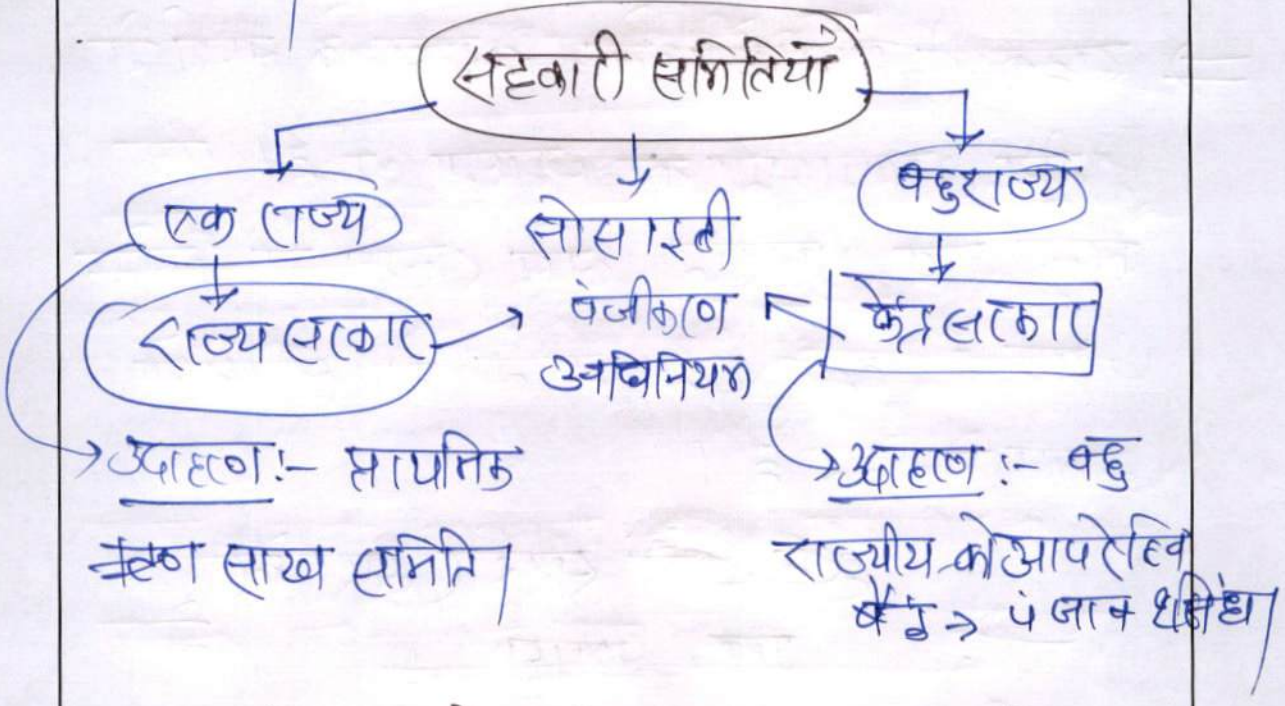

सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारण :-

→ भ्रष्टाचार की समस्या व्यापक रूप से विद्यमान है। 2016 में नोटबंदी के समय इन

समितियों ने कोर बैंकिंग नेटवर्क से न जुड़े होने का गलत फायदा उठाया।

⇒ समितियों में लम्बे समय तक चुनाव नहीं होते हैं इस समस्या की तरफ हाल ही में सहकारिता मंत्री ने इंगित किया है।

⇒ कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है।

⇒ राजनीतिक दखल अत्यधिक है।

⇒ सहकारी समितियों के विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता की समस्या भी है। एक केरल एवं गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति अच्छी है वहीं उत्तर भारत में समितियाँ अल्प विकसित हैं।

→ सरकार द्वारा किए गए प्रयास

↳ 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारिता को 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ अनुच्छेद 43(B) को सहकारी समितियों के स्वायत्त, कुशल प्रबंधन हेतु शामिल किया गया।

⇒ सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है।

⇒ आर.बी.आई अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारी बैंकों, साख समितियों पर RBI की पकड़ मजबूत की गई है।

⇒ सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें बावमैट-ई-मार्केट प्लेस से जोड़ा गया है।

⇒ आत्मनिर्भर भारत के तहत मदद की जा रही है।

आगे की रणनीति के रूप में भारत में नवीन सहकारिता नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

17. सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए, तो इसमें भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विद्यमान अंतराल को पाटने की क्षमता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Public-Private Partnership model, if harnessed properly, has the potential to bridge the gaps in India's healthcare system. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में आरंभ की गई आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में सार्वजनिक - निजी - सहयोग का एक बड़ा एवं सीमित उदाहरण है।

भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में विद्यमान अंतराल

→ भारतीय सार्वजनिक अस्पतालों के 70% बेड शहरी क्षेत्रों में हैं जबकि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में।

→ वित्तीय स्वास्थ्य क्षेत्र क्षमता पर नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला अस्पताल अकेले सार्वभौमिक स्वास्थ्य देने में अक्षम हैं।

→ स्वास्थ्य पर भारत का सार्वजनिक व्यय

G.D.P. का 1.35 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2.5% खर्च का लक्ष्य रखा गया है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में भी सार्वजनिक क्षमता अपर्याप्त है।

निजी क्षेत्र की भूमिका :-

⇒ साझा अनुसंधान एवं विकास में।
 ↳ उदाहरण - कोवैक्सीन का निर्माण PPP मॉडल का उदाहरण।
 → प्रथम कोविडरोधी दवा का विकास भारत बायोटेक एवं DRDO ने मिलकर किया है।

⇒ नीति आयोग द्वारा द्वितीयक चिकित्सा सेवा हेतु सरकारी अस्पताल एवं जिले के निजी अस्पताल में सहयोग की बात की गई है।

⇒ स्वास्थ्य बीमा की वर्तमान स्थिति दयनीय है। वर्तमान में 15 से 59 वर्ष की आयु

के केवल 33% लोग स्वास्थ्य खर्च संबंधी वित्तीय सुरक्षा से युक्त हैं अतः स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रक में भी निजी - सार्वजनिक भागीदारी संभव

↳ आयुष्मान में केवल 50 करोड़ लोग शामिल।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

चुनौतियाँ

↳ आयुष्मान भारत में इम्पैनेल्ड अस्पतालों द्वारा फर्जी एवं अनावश्यक बिल की बात सामने आयी।

↳ नैतिक मुद्दे।

④ पीपीपी मॉडल ही भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रक में सार्वभौमिक स्वास्थ्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार हो सकता है।

18. यद्यपि नई शिक्षा नीति अपने साथ एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लेकर आई है, इसकी सफलता सरकार की अन्य नीतिगत पहलों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Although the New Education Policy brings with itself a commendable vision, its success will depend on its ability to effectively integrate with the government's other policy initiatives. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

के कस्तूरीरंजन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह नवीन शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है।

नवीन शिक्षा नीति 2020

↓

महत्वपूर्ण विशेषताएँ

⇒ शिक्षा पर G.D.P. के 6% खर्च का लक्ष्य

⇒ 6वीं कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा पर बल।

⇒ 5वीं तक की शिक्षा स्थानीय भाषा में।

⇒ आई. वी. लीग के विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित करने का लक्ष्य।

⇒ C.B.C.S. प्रणाली द्वारा व्यापक विषय का प्रयास।

⇒ नवाचार एवं अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय

अनुसंधान फोरम की स्थापना का तात्पर्य।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अन्य नीतिगत पहलों के साथ एकीकरण की आवश्यकता

⇒ सरकार द्वारा नवाचार हेतु, अटल नवाचार मिशन, अटल टिंकरिंग लैब जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसे समाहित करने की जरूरत।

⇒ इसी प्रकार व्यवसायिक शिक्षा की दिशा में कौशल भारत अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान को भी समन्वित करने की आवश्यकता।

⇒ सरकार द्वारा त्रिभाषायी फार्मूला के संदर्भ में विविध मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों से सहयोग की जरूरत।

⇒ राज्यों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को समन्वित करने की आवश्यकता है ताकि अतिव्यापन की समस्या से बचा जा सके।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

इस हेतु नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में समन्वय एवं सहयोग के महत्व को उद्घाटित किया गया।

19. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न हुआ है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में भारत की चिंताओं की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) is born from a collective desire to make the Indo-Pacific region an engine of global economic growth. Comment. Also, discuss India's concerns in this context. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वैश्विक अर्थव्यवस्था के दसवें हिस्से एवं 14 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडो पैसिफिक इकॉनोमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रास्पेरिटी गठबंधन की शुरुआत अमेरिका के नेतृत्व में अधोलिखित लक्ष्यों को हासिल करने हुई।

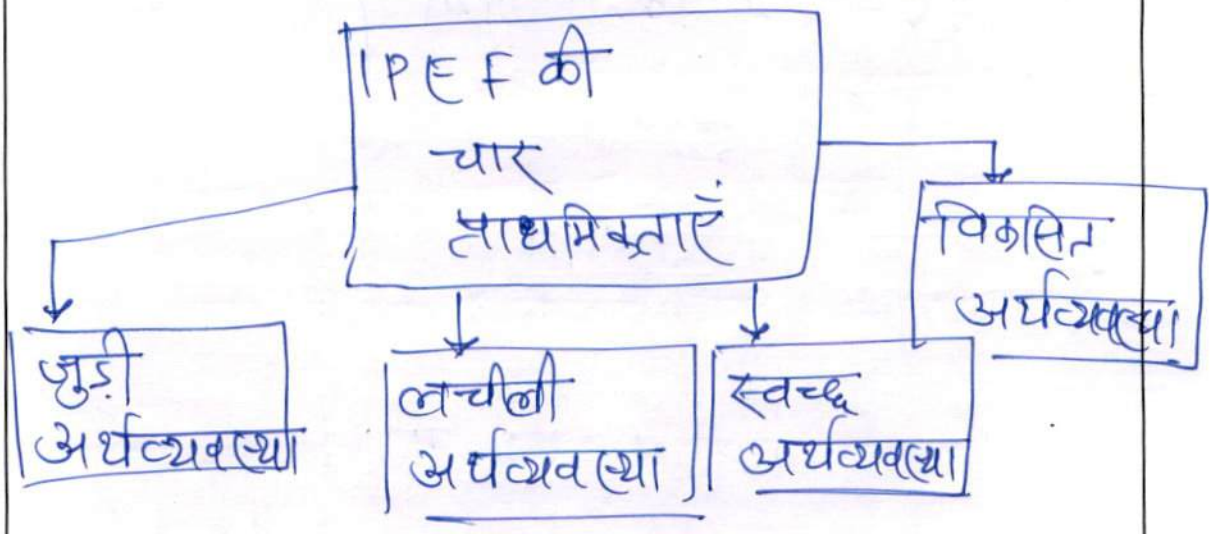

जुड़ी अर्थव्यवस्था :- डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में डाटा का निर्मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लचीली अर्थव्यवस्था :-

- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करना।
- COVID-19 जैसी परिस्थितियों को सहने की क्षमता अर्थव्यवस्था में विकसित करना।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था :-

- पारदर्शिता पर बल देना।
  - चीन की बेल्ट एवं रोड परियोजना के विपरीत।
- निवेश, व्यापार की सुगमता को प्रोत्साहित करना।

विकसित अर्थव्यवस्था :-

- क्षमता विकास करना।
- तकनीक का हस्तांतरण करना।

भारत की चिंताएँ

⇒ भारत डाटा के स्थानीयकरण का समर्थक रहा है जबकि इस गठबंधन में फ्री फ्लो की बात की गयी है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ विविध उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की कमी भी भारत को शशंकित करती है

⇒ प्रयासों का अतिव्यापन भी दिखता है

↳ उदाहरणार्थ :- ब्लू डाट नेटवर्क

↳ बिल्ड बैक बेटर

↳ ग्लोबल गेटवे इनीशिएटिव

⇒ भारत हिंद प्रशांत में अमेरिकी हितों की बजाय अपने हितों से संचालित होने में विश्वास रखता है

आगे की राह

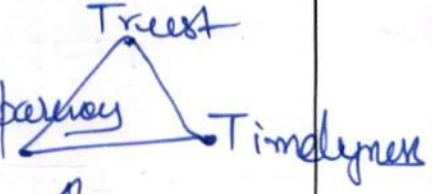

→ प्रधानमंत्री मोदी के '3T' सिद्धांत को स्वीकार जाय।

→ इस गठबंधन को संस्थागत बनाने की जरूरत

→ प्रावधानों का स्पष्टीकरण हो

→ विविध प्रयासों में समन्वय स्थापित हो

→ सदस्यता का विस्तार किया जाय

→ सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाय

20. विस्तृत होते डिजिटल स्पेस और नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं के बीच भारत को अपनी तकनीकी-कूटनीति (टेक्नो-डिप्लोमेसी) को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

India needs to identify the priority areas to further its techno-diplomacy amidst the complexities of expanding digital space and New and Emerging Strategic Technologies. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में विदेश मंत्रालय के भीतर एक नए प्रभाग - रणनीतिक एवं आधुनिक तकनीक प्रभाग की स्थापना उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं के दोहन को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।

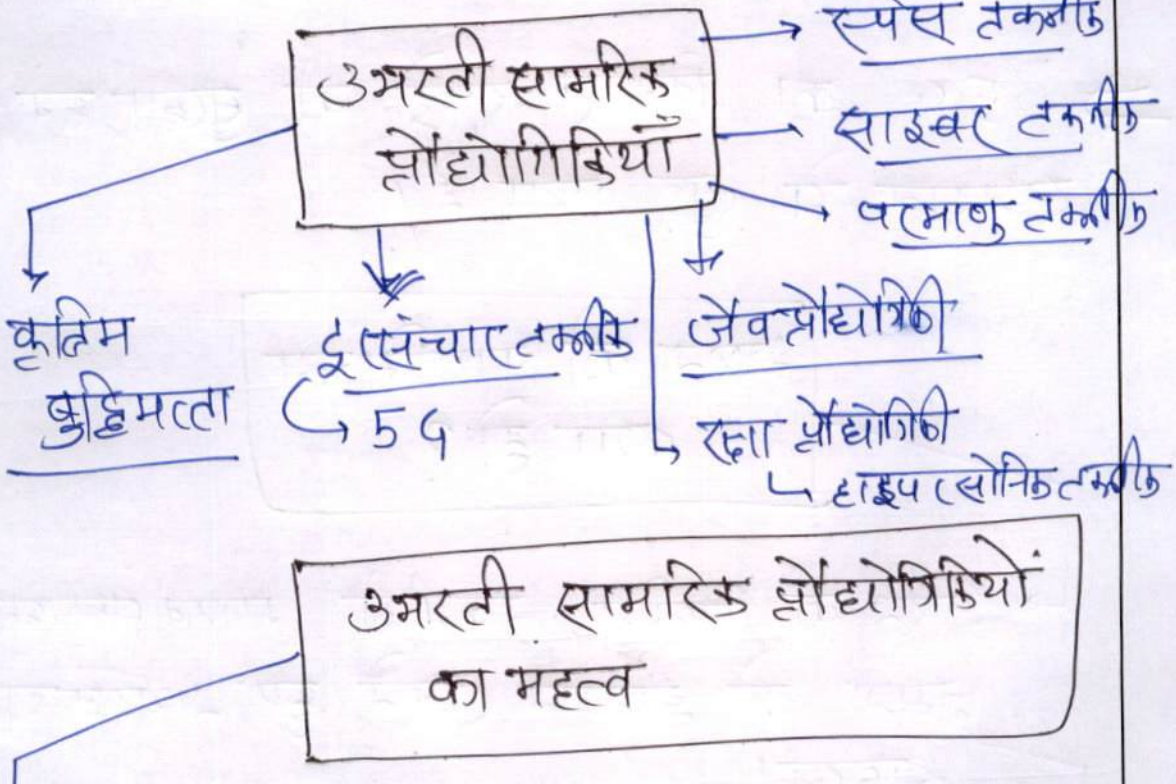

उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों का महत्व

⇒ सूचना युद्ध का महत्व बढ़ा है इसी प्रकार नवीन हाइब्रिड वारफेयर की पद्धति विकसित हो रही है। उदाहरण → रूस-यूक्रेन युद्ध।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⇒ साइबर हमलों के प्रति राष्ट्रों की सुभेद्यता बढ़ी है। NCRB के आंकड़े के अनुसार भारत में साइबर हमले प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं।

⇒ हाल ही में चीन द्वारा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण नवीन चुनौतियों का निर्माण कर रहा है।

⇒ '5G' का विकास राष्ट्रों की सुरक्षा एवं संप्रभुता से जुड़ गया है।

भारत की प्राथमिकता क्या हो?

→ भारत की वित्तीय, तकनीकी, मानव संसाधन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रयास की जरूरत।

→ कुछ प्राथमिकता क्षेत्र अपने रणनीतिक लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित किए जाएं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

1) साइबर प्रौद्योगिकी

- द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग स्थापित करना
- कोलंबो सुरक्षा संवाद जैसे माध्यमों से क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना।

2) रक्षा प्रौद्योगिकी :-

- ज्वांइट प्रोडक्शन
- R&D पर व्यय में बढ़ोत्तरी
- नये युद्ध डोमेन का विकास करना
  - e.g. → इलेक्ट्रोमैग्नेटिक

3) संचार प्रौद्योगिकी :-

- डिजिटल भारत के लक्ष्य को हासिल एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- '5G' आदि पर सामूहिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

वस्तुतः गतिशील एवं तनावग्रस्त वैश्विक परिदृश्य में तकनीकों का सुचारु उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है।

SPACE FOR ROUGH WORK